(31)

न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्र. क्र. I/निगरानी/शिवपुरी/भू-रा/2017/2505

श्रीरामसेवक शर्मा द्वारा आज दिनांक 2-8-17 को प्रस्तुत
2-8-17

लक्ष्मी नारायण पुत्र स्व. प्रभूलाल शर्मा
निवासी आई पी एस स्कूल के पास
शंकर पुर झींगरा तह. व जिला शिवपुरी
म.प्र. -- आवेदक

विरुद्ध

1. प्रदीप 2. दीपक 3. बीरेन्द्र पुत्रगण बृज मोहन शर्मा
निवासी ग्राम झींगुरा तह. व जिला शिवपुरी म.प्र.
-- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 क, नवेसंशोधन अधि. 2011 म.प्र. भू. रा. 1959 विरुद्ध आदेश दि. 31.7.17 द्वारा पारित न्यायालय तहसीलदार शिवपुरी प्र. क्र. 26/16-17 /अ 70 दीपक विरुद्ध लक्ष्मी नारायण के निर्णय से दुखी होकर।

श्रीमान जी,

हम आवेदक गण की निगरानी तथ्यो एवं आधारो पर प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1. यह कि, ग्राम झींगुरा के सर्वे न. 744 रकवा 0.021 भू खण्ड पर आवेदकगण एवं अनावेदकगण पक्का भवन बनाकर निवास कर रहे है जिसमें पूर्वजो के जमाने से ही बटवारा होकर अपने अपने हिस्से पर मकान बनाकर निवासरत है उक्त भूखण्ड मै कोई कृषि भूमि नही है केवल रिहायशी मकान है।

2. यह कि, अनावेदकगण द्वारा उक्त सर्वे न. एवं भवनो से निष्कासित

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/2505

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1/4/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर, जिला शिवपुरी के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **कलेक्टर जिला शिवपुरी**	